File No.-28/2019-CD

17.01/17.02.2022

This proceeding was initiated on receipt of information from the Superintendent, Model Central Jail, Beur, Patna relating to death of convict prisoner Manju Devi.

In this proceeding, copies of almost all required reports have been received, opinion of FMT expert has also been obtained.

However Registry has brought on record a web copy of order dated 20.01.2022 passed by NHRC in Case No. 1045/4/26/2019 JCD relating to death of convict prisoner Manju Devi on record (page 93-94/c) which is as follows:-

The Commission received an intimation from the Superintendent, Model Central Jail, Beur, Patna regarding death of convict female prisoner namely Manju Devi, aged about 50 years, on 29.03.2019. In response to the Commission's directions, the requisite reports have been received and examined by the Investigation Division of the Commission. The Health Screening Report indicates that the health of the deceased was normal at the time of entry into Jail on 05.08.2015. The Inquest Report does not reveal any injury mark on the body of the deceased. The treatment record indicates that the deceased was a case of non-Hodgkin Lymphoma (Cancer). She was undergoing chemotherapy and due effect of chemotherapy her general health condition became feeble. Due to Cancer growth right sided grade II hydronephrosis had developed to her. She could not respond to the treatment at PMCH, Patna and expired on 29.0.2019. The PMR has indicated that the cause of death of the deceased was kept pending initially for want of Viscera/HPE Report. There in no mention of any injury mark on the body of the deceased. The cause of death opined on the finding of any of HPE Report is disease of lung and kidney. The enquiry officer has not suspected any foul play or medical negligence in this matter. The Commission has considered the material on record. The Investigation Division has recommended closure of the Case No. foul play or medical negligence has been found in this Case. Therefore, there is no need for further intervention of the Commission in the matter. The case is closed.

Since NHRC has come to above finding after detail enquiry in a similar proceeding, the State Commission is not inclined to proceed further in this proceeding.

Accordingly this proceeding is closed.

संचिका संख्या : 1648/19 एवम् 2439/19

दिनांक : .10.02.2022

प्रस्तुत संचिका आवेदक अधिवक्ता एवं मानवाधिकार कार्याकर्त्ता के द्वारा बच्चों के **AES** से मृत्यु होने और सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह भी कहा गया है कि इस वर्ष 2010—18 में 351 बच्चों की मृत्यु हुई वर्ष 2019 में 36 बच्चों की मृत्यु हुई।

सरकार से विभिन्न पत्रों के द्वारा प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2019 में 141 बच्चों के अभिभावक को 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अनुदान दी गई है। वर्ष 2012—13—14 में 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति अनुदान 475 बच्चों के अभिभावाकों को दी गई है। जिनकी मृत्यु **AES** ये हुई थी। यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त अनुदान जिला पदाधिकारी के अनुशंसा के उपरांत अनुदान मुख्यमंत्री सहायता फण्ड से दिया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि 400 रुपये का भुगतान उनके अभिभावकों को निजी वाहन के सेवा के लिए भी दिया गया है तथा साथ ही एम्बुलेंस उपलब्ध सुनिश्चित कराने हेतु यह कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बीमारी के कारण का पता लगाने हेतू रिसर्च किया जा रहा है, यह भी कहा गया है कि ए0ई0एस कई प्रकार के होते हैं।

आवेदक के द्वारा अपने प्रत्युत्र में उपरोक्त उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के सच्चाई के संबंध में संदेह प्रकट करते हुए इसे सिर्फ खानापूर्ति कही है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि ए0ई0एस0 से मुत्यु हुए मरीजों को मृत्यु प्रमाणपत्र तत्काल नहीं बनाया जाता है। जिसके कारण सही आँकड़े सामने नहीं आ पाता है जिसके कारण सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में सरकार के द्वारा यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इस संबंध में मुआवजे के लिए मृत्क के अभिभावकों को कहां आवेदन पत्र जमा करना होगा इस संबंध में उन्होंने एक मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि श्री विपुल कुमार की पुत्री की मौत ए0ई0एस0 से हुई थी परन्तु मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। विपुल कुमार पंडित के द्वारा भी आवेदक के संचिका संख्या 2439/2019 दायर की गयी है। आवेदक के द्वारा ए0ई0एस0 को जड़ से समाप्त करने के लिए सकारात्मक शोध कार्य की आवश्यकता बतायी है।

सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक का प्रत्युत्तर से यह प्रतीत होता है कि सरकार के द्वारा इस बीमारी का कारण के संबंध में कई सरकारी/गैर सरकारी **Agency** के द्वारा **AES** के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मृतकों के अभिभावकों के

क्षतिपूर्ति की राशि दी जा रही है। परन्तु इस संबंध में आवेदक के द्वारा निम्नलिखित कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

1. एईएस से मृत्यु होने वाले बालकों के मृत्यु का प्रमाणपत्र बनाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं जिस से उन्हें क्षतिपूर्ति अनुदान से वंचित रहना पड़ता है।

2. इस संबंध में कोई भी स्पष्ट दिशा—निर्देश जारी नहीं की गयी है कि मृतक के परिजनों के मुआवजा मिलें आवेदन पत्र कहाँ जमा करेंगे।

3. आवेदन में विपुल कुमार के पुत्री की मौत एईएस से होने के बावजुद मुआवजा भुगतान आज तक नहीं दिये जाने का जिक्र है।

उपरोक्त घटना के आलोक में निदेशक मुख्य सेवाएं एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को इस पत्र की प्रति भेजते हुए उन्हें उपरोक्त बिन्दु सं0 1 एवम् 2 पर एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुशंसा की जाती है।

सरकार से यह भी अनुशंसा की जाती है कि एईएस बीमारी के कारणों का पता लगाने हेतु सरकार या गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किए जा रहे अनुसंधान को और तेज करने की कार्रवाई की जाय, जिससे भविष्य में इससे होने वाली बीमारी एवम् मृत्यु से बचा जा सके। संचिका संख्या 2439/2019 में प्राप्त आवेदन की प्रति जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को भेजते हुए, तथ्यों की जाँच कर तीन माह के भीतर विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में इस आवेदन की कार्रवाई बंद करते हुए इस संचिका को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति निदेशक प्रमुख एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को सूचनाथ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतू भेजने का निर्देश दिया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

<u>संचिका संख्या : 1692/18</u>

<u>दिनांक : .10.02.2022</u>

आवेदक अपने आप को ब्लड बैंक लखीसराय के कर्मी बताते है के द्वारा मानदेय का भुगतान दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 एवं दिसम्बर 2015 के बाद नहीं किये जाने का आरोप लगाते हुए आवेदन दाखिल किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उनकी नियुक्ति रेड क्रॉस सोसायटी के द्वारा की गई है।

संचिका संख्या : 1130/4/05/2020

दिनांक : .10.02.2022

प्रस्तुत आवेदन आवेदक के द्वारा यह कहते हुए दाखिल किया गया था कि पुलिस के द्वारा नौतन थाना कांड संख्या 353/18 अंतर्गत धारा 304बी/201 भारतीय दण्ड विधान के संबंध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के कार्रवाई की नहीं की जा रही है और सहयोग नहीं दिया जा रहा है।

पूर्व में आरक्षी अधीक्षक पश्चिमी चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदन के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया था कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु अनुसंधान जारी है अतः आरक्षी अधीक्षक पश्चिमी चम्पारण से शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

दिनांक 18.11.2021 के आदेश के आलोक में श्री आलोक कुमार मुख्यालय बेतिया स्वयं उपस्थित है। उनके द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बेतिया का प्रति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त सुरेन्द्र यादव, सोनेलाल यादव, संदीप यादव, उमाकान्त यादव एवं सरस्वती देवी के विरूद्ध सत्य पाया गया है। प्राथमिक अभियुक्त फुलेना यादव, मुन्नी देवी एवं रामायण यादव की संलिप्तता नहीं पाई गई है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक अभियुक्त सुरेन्द्र यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और आरोप पत्र दिनांक 21.10.2018 को समर्पित किया गया है। प्राथमिक अभियुक्त सोनेलाल यादव एवं संदीप यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उमाकान्त यादव और प्राथमिक अभियुक्त सरस्वती देवी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि पुलिस के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। परन्तु चूंकि यह कांड 2018 का है। अतः आरक्षी अधीक्षक पश्चिमी चम्पारण से अनुसंधान में तेजी लाते हुए अनुसंधान शीघ्र समाप्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त अनुशंसा के साथ इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

संचिका संख्या : 1002/4/25/2022 (Suo Motu)

दिनांक : .21.02.2022

दिनांक 18.02.2022 के प्रभात खबर दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित खबर "डायन का आरोप लगा कर पोट्रोल डालकर के महिला को जलाये जाने तलाब में कूदी मौत" स्वतः संज्ञान लेते हुए समाचारपत्र के कतरनी जिला अधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक नवादा को भेजते हुए इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन अन्य वांछित कागजातों को संलग्न करते हुए अगली तिथि को समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 17/05/2022 प्रतिवेदन एवम् अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

संचिका संख्या : 1001/4/10/2022 (Suo Motu)

दिनांक : .21.02.2022

दिनांक 18.02.2022 के दैनिक समाचारपत्र प्रभात खबर में प्रकाशित समाचार "महिला के बाल काटकर चेहरे पर कालिख पोतकर गावं में घुमाया गया" इसका स्वतः ही संज्ञान लेते हुए कतरन की प्रति जिला अधिकारी एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक दरभंगा को भेजते हुए तथ्यों की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन अगली तिथि तक समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 20/05/2022 प्रतिवेदन एवम् अग्रेतर कार्रवाई हेतु

File No. 2530/4/30/2020 & 5798/4/30/2020

21.02.2022

आवेदक के द्वारा संचिका सं0 2530/4/30/2020 उन्हें 37 वर्षों की सेवा उपरान्त ए0सी0पी0 का लाभ दिए जाने की बात कहते हुए सेवानिवृति का लाभ नहीं दिये जाने के आरोप के साथ दाखिल किया गया था।

पुनः आवेदक के द्वारा महालेखाकर के द्वारा 300 दिनों का Leave encashment दिये जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने का आरोप लगाते हुए दाखिल किया गया, जिसके आधार पर संचिका सं0 5798/4/30/2020 संधारित की गयी।

दोनों संचिकाओं को निष्पादन हेतु amalgamateकरते हुए सुनवाई एक साथ की जा रही है।

सरकार के उपसचिव, स्वास्थ्य विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि सेवान्त लाभ तथा 300 दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा दी जा चूकी है।

विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर प्रदान किया गया था।

आवेदक के द्वारा पुनः एक आवेदन दाखिल किया गया है जिसके द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही उपरान्त दिए गए लघुदण्ड के आदेश को गलत बताया है। आवेदक ने परिवाद संचिका 3413/10 में माननीय अध्यक्ष के आदेश के विरूद्ध बताया है। आवेदक ने सेवानिवृति के लाभ तथा अव्यवहृत अवकाश के भुगतान के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

संचिका सं0 3413/2010 में पारित आदेश की प्रति संलग्न है जिसके अंश यहा उदृत है

"Having considered the matter, the Commission fully approves the biometric marking of attendance. The Commission is also of the view that this should be made applicable to all employees including the gazetted employees –irrespective of their grade and status. The Commission would however like to clarify that salary cannot be withheld in default of marking attendance alone. It is not provided in the rules. However, forfeiture of pay is one of the prescribed penalties imposable to government servants, and since stoppage of salary partakes the character of forfeiture-albeit for limited period, the Commission is of the view that this can be done but only after proper enquiry in a legally constituted proceeding. It need hardly be emphasized that once marking of attendance is made part of service conditions, any violation would amount to misconduct making the person concerned liable for departmental proceeding/action. The Government would do well to take policy decision and amend the rules wherever required.

As regards the doctors or others who do not have fixed duty hours or work in shits, some way out may be found in consultation with the concerned associations.

Having observed thus, the Commission is not inclined to keep this file pending which is accordingly closed.

Copy of this order may be sent to the applicant, the Principal Secretary, Health Department and Collector, Samastipur for information.

Copy may also sent to Chief Secretary, Government of Bihar for needful."

परंतु आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक 24.11.2021 से प्रतीत होता है कि विभागीय कार्यवाही चलाते हुए लघुदंड का आदेश पारित किया गया है, जिसका गुण और दोष का निर्धारण राज्य आयोग के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आवेदक न्यायालय में जाने को स्वतंत्र हैं।

अतः उपरोक्त दोनों संचिकाओं तथा प्राप्त आवेदन दिनांक 24.11.2021 को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

File No. 915/4/11/2022

21.02.2022

प्रस्तुत आवेदन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से स्थान्तरण के पश्चात् प्राप्त है जिसके द्वारा आवेदिका ने अपनी मर्जी से मो0 अरमान के साथ शादी किये जाने की बात कहते हुए यह भी कहा है कि दोनों व्यस्क हैं और काजी एवं गवाहों के समक्ष निकाह किए जाने की बात कही है। आवेदिका ने यह भी कहा है कि इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा निकाह को वैध मानते हुए समाज से निकाला तथा आर्थिक दण्ड की कारवाई की जा रही है। पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद कारवाई नहीं की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदन की प्रति जिला पदाधिकारी एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक, गया को भेजते हुए उन्हें तथ्यों की जाँचकर विधिसम्मत कारवाई करते हुए अगली तिथि तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।

सचिव/अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य आयोग से जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, गया से संपर्क कर अगली तिथि तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

दिनांक 13.05.2022 को प्रतिवेदन एवं अग्रेतर कारवाई हेतु।

संचिका संख्या : 3014/4/11/2020

दिनांक : .17.02.2022

प्रस्तुत संचिका एक सामाजिक संस्था एवं मानवाधिकार सुरक्षा समिति के आवेदन पर संधारित की गई थी जिसके द्वारा नीमचक बथानी प्रखंड अंतर्गत ग्राम बंगठिया के प्रवासी मजदूर स्व0 ललन कुमार के द्वारा पुणे से पैदल चलकर 16 दिन में शुक्रवार की दोपहर को प्रखंड की मनियारा पंचायत में बनाये गये क्वारंटीन सेंटर सपर पहुंचनेपर वहां जगह नहीं होने की बात कहा और प्रखंड मुखिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सहायता नहीं मिने के पश्चात् वे पदैल ही रेलवे ट्रैक के सहारे रढोई क्वारंटीन सेंटर के लिए निकल पड़े वहां भी जगह नहीं मिली पुनः पैदल कारूबिगहा क्वारंटीन सेंटर जाने पर जगह नहीं मिलने के पश्चात भूखे प्यासे थके हारे रेलवे ट्रक के सहारे अपने ससुराल के लिए चल दिये। कुछ ही दूर पर शेखपुरा के पास रेलवे ट्रक पर स्व0 ललन कुमार की खून से लथपथ लाश मिली। इस तरह से स्व0 ललान कुमार के मृत्यु प्रखंड विकास पदाधिकारी के लापरवाही से हुई। अतः इस संबंध में कार्रवाई एवं क्षतिपूर्ति अनुदान के हेतु कार्रवाई के अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन एवं अपर अपर समाहर्त्ता गया के पत्र के साथ संलग्न अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी गया का प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा मृतक ललन कुमार के मृत्यु क्वारंटीन सेंटर जाने के समय ट्रेन से दुर्घाटना होने के कारण बताई गई है।

दूसरी तरफ अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है इस संबंध में बथानी के द्वारा समर्पित आवेदन की जांच अद्योहस्ताक्षरी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रू प से की गई और उपरोक्त संयुक्त प्रतिवेदन की प्रति भी संलग्न की गई है जिसके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 16.05.2020 को रसोस कुमार ग्राम शेखपूरा निवासी द्वारा वाट्सअप पर रेलवे क्रांसिग से सटे ललन कुमार की मृत्यु की सूचना दी गई। थाना प्रभारी नीमचक बथानी अंचल अधिकारी तथा अन्य के द्वारा घटना स्थल के निरीक्षण किया गया और यह भी प्रतिवेदित किया गया कि मृतक ललन कुमार पुणे में प्राइवेट नौकरी करते थे दिनांक 15.05. 2020को घर आये , घर वालों ने क्वारंटीन सेंटन जाने को सलाह दी और कमालपुर कोरोना क्वांरेटाइन सेंटर जाने की बात बताई संध्या करीब 6 बजे मृतक पचम्बा मोड़ पर मिले और बताया कि संजु देवी से बोला कि शेखपुरा जा रहे है। इसके बाद पता नहीं चला कि कहां है एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ललन कुमार का शव रेलवे लाईन के पास पड़ा है इस संबंध में कमालपुर क्वारेंटाइन सेंटर पर प्रतिनियुक्त शिक्षक धर्मेन्द्र कुमार से पुछ–ताछ करने पर बताया कि उक्त समय सेंटर पर बंगठिया का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। जांच के क्रम में यह भी पता चला कि ग्रामीण सरेश यादव के द्वारा उन्हें अपने साथ कमालपुर क्वारेंटाइन सेंटर पर जाने को कहा गया तो मृतक ललन कुमार ने बताया किवे पिछे से आयेंगे परन्तु वे नहीं आये। दुर्घाटना स्थल से मृतक के ससुराल जाने का रास्त है। कमालपुर क्वारेंटाइन सेंटर पर कई लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक तथा मृतक ललन कुमार की पत्नी को भेजते हुए दिनांक 13.08.2021, 08.11.2021/12.11.2021 तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। परन्तु उनका प्रत्युत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त स्थिति में आवेदक के परिवार वालों के सहयोग के बिना कोई भी जॉच सम्भव नही है अतः इस पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक तथा मृतक के पत्नी को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

<u>संचिका संख्या : 5945/4/26/2021</u>

<u>दिनांक : .11.02.2022</u>

आवेदक के द्वारा दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित खबर को संलग्न करते हुए यह कहते हुए एक आवेदन दिया है कि एन0एम0सी0एच0 पटना का ईलाज संबंधी पूर्जा को संलग्न करते हुए दाखिल किया गया है तथा यह आरोप लगाया गया है कि चौक थाना, पटना सिटी में पदस्थापित यातायात सिपाही के द्वारा दिव्यांग राजन के कान पर जोरदार थप्पड़ मार देने से उसके दाहिने कान के झिल्ली फट गई। उस समय वे अपने घर से कोचिंग हेतु पढ़ने जा रहे थे। यह भी कहा गया है कि सिपाही मिथुन कुमार के द्वारा पहले उनके तिपहिया स्कूटी रोकबाया गया फिर तलाशी शुरू कर दी कोचिंग में देर होने की बात कहने पर सिपाही ने उनका दहिने कान पर थप्पड़ लगा दिया। जिस से कान सुन हो गया और सुनाई देना बंद हो गया। उन्होंने यह भी कहा है कि राजन ने नजदीक दवा दुकान से दवा ली और तकलीफ बढ़ने पर 18 सितम्बर 2021 को एन0एम0सी0एच0 में दिखाया और डॉ0 ने बताया कि आपका कान की झिल्ली फट गया है।

उपरोक्त आरोप के आलोक में उस आरक्षी को गिरफ्तार कर कानुनी कार्रवाई करने राजन कुमार के कान का ईलाज करवाने और उचित मुआवजा दिलवाने के अनुरोध के साथ यह आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदन में लगाये गये गंभीर आरोप को ध्यान में रखते हुए इस आवेदन को दिनांक 27.09. 2021 के आदेश के द्वारा राज्य के अनुसंधान प्रभाग को संचिका उपलब्ध कराया गया था। अनुसंधान प्रभाग का प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी जांच कर्त्ता पु0अ0नि0 प्रदीप कुमार चौक थाना द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवम्

राजन कुमार और सिपाही मिथुन कुमार को अपनी बात कहने का अवसर देते हुए अपने निष्कर्ष में यह प्रतिवेदित किया है कि " तथ्यों के अवलोकन एवं समीक्षा से परिवादी श्री अरूण कुमार सिंहा परिवाद पत्र में चौक थाना के सिपाही मिथुन कुमार द्वारा दिव्यांग राजन कुमार के साथ मारपीट करने से संबंधित घटना की पुष्टि के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध प्रतीत नहीं होता है। किन्तु चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन, समीक्षा के क्रम में पीड़ित राजन कुमार द्वारा सिपाही मिथुन कुमार की पहचान किये जाने आदि तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह संभावना है कि वाहन चेकिंग/ जांच के क्रम में श्री राजन कुमार द्वारा किसी बात पर आपत्ति जताने पर सिपाही मिथुन कुमार द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। "

उपरोक्त प्रतिवेदन पर यातायात सिपाही मिथुन कुमार को स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर दिया गया था। परन्तु उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त है। बल्कि पु0अ0नि0 प्रदीप कुमार चौक थाना पटना सिटी में श्री प्रदीप कुमार के पूर्व के आवेदन की प्रति समर्पित की गई है।

संचिका में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़ित राजन कुमार एक दिव्यांग है उनका कान की झिल्ली में चोट आई है तथा उन्होंने स्पष्ट कहा कि यातायात सिपाही के द्वारा उन्हें कान में जोरदार थप्पड़ मारने से उन्हें यह चोट आई है।

दूसरी तरफ पु0अ0नि. चौक थाना में श्री प्रदीप कुमार ने अपने जांच प्रतिवेन में यह कहा है कि आवेदन पत्र में दर्शाये गये घटनास्थल मारूफगंज मोड़ और पूरब दरबाजा के आस पास लगे सी0सी0टी0वी0 के अवलोकन करने पर ऐसी किसी आरोप के संबंध में अप्राप्त है। उन लोगों के द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गई है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि सिपाही मिथुन कुमार के बनाया गया है कि वे जब भी डियुटी में निकलते हैं तो किसी पदाधिकारी के साथ ही डियुटी करते है। डियुटी के दौरान उनके द्वारा किसी विकलांग व्यक्ति के साथ मारपीट या गाली—गलौज नहीं किया गया।

पीड़ित के द्वारा अनुसंधान प्रभाग के समक्ष दिये गये अपने बयान में घटना की पुष्टि तथा साथ ही मिथुन कुमार का पहचान करते हुये यह बताया गया है कि इनके द्वारा ही उनके कान में मारा गया जबकि सिपाही मिथुन कुमार पीड़ित को पहचानने से इंकार करते है।

पु0अ0नि0 प्रदीप कुमार जिन्होंने जांच प्रतिवेदन दाखिल किया है। वो पटना सिटी चौक थाना में पदस्थापित है और सिपाही मिथुन कुमार भी पटना सिटी चौक थाना में पदस्थापित है। ऐसे में उनकी जांच प्रतिवेदन या मिथुन कुमार के द्वारा दिये गये बयान के विश्वासनीयता संदेह से परे नहीं कहा जा सकता है।

चिकित्सीय जांच पुर्जा जो आवेदन के साथ संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित के कान में चोट पहुंची है। आवेदक एक दिव्यांग जन है उनके द्वारा सिपाही मिथुन कुमार की पहचान भी अनुसंधान प्रभाग के समक्ष की गई है और आवेदन में लगाये गये आरोपों का समर्थन किया गया है। इसके विपरीत ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिस से पीड़ित दिव्यांग को सिपाही मिथुन

कुमार को गलत फॅसाने का कोई आधार हो। अनुसंधान समिति ने यह संभावना जताई और जांच के क्रम में राजन कुमार द्वारा किसी बात पर आपत्ति जताये जाने की स्थिति में सिपाही मिथुन कुमार द्वारा मारपीट की गई होगी। प्रश्न यह उठता है कि एक दिव्यांग जन के साथ क्या आपत्ति जताने पर पुलिस के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार उचित है? जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य घटना की पुष्टि के संबंध में नहीं है और कई लोगों से पूछताछ में भी यह इस तरह की घटना से अनभिज्ञता प्रकट की गई है। ऐसे मामले में रास्ते में हुई घटना के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपलब्ध न होने के आधार पर घटना को गलत कहना विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी घटना का गवाह बनना नही चाहता है, खासकर जब पुलिसकर्मी पर आरोप है। घटना के संबंध में दैनिक जागरण पटना दिनांक 29.09.2021, 20.09.2021,प्रभात खबर 20.09.2021 तथा दैनिक भास्कर समाचारपत्र में घटना प्रकाशित है। इसके अलावा परिस्थितिजनक साक्ष्य उपलब्ध है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सिपाही मिथुन कुमार के द्वारा मारपीट किये जाने के कारण पीड़ित दिव्यांग के कान की झिल्ली फट गई और उन्हें पुनः एक अपंगता का शिकार होना पड़ा हैं अतः इसके लिए पुलिस कर्मी की गलती /लापरवाही स्पष्ट प्रतीत होती है। जिसके कारण पीड़ित दिव्यांग को **Physical Pain, Mental agony** और **Ignominy** का सामना करना पड़ा है।

अतः पीड़ित दिव्यांग को हुई शारीरिक क्षति, मानसिक उत्पीड़न और बदनामी के लिए वे क्षतिपूर्ति के हकदार है और सरकार पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व से बच नहीं सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कार्यालय बिहार सरकार को मुख्य सचिव, के माध्यम से कारण पृच्छा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि पीड़ित को इस शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न के लिए क्यों नही उसे 25000/— रुपये की राशि की क्षतिपूर्ति अनुदान देने की अनुशंसा की जाय।

कारण पृच्छा जवाब 10 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक पटना से सिपाही मिथुन कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की जाती है।

आदेश की प्रति मुख्य सचिव बिहार, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक बिहार एवम् वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का निर्देश दिया जाता है।

दिनांक 20.06.2022 कारण पृच्छा एवम् अग्रेतर कार्रवाई हेतु।

संचिका संख्या : 4679/4/15/2021

दिनांक : .15.02.2022

आवेदिका से प्राप्त आवेदन जिसके द्वारा उनके लड़के फुल चन्द चौहान को जेल में 70 प्रतिशत जल जाने की सूचना मिलने और उनके लड़के के इलाज सही ढंग से नहीं किये जाने का आरोप के साथ दाखिल किया गया था।

अधीक्षक, कारा मंडल भभुआ से प्राप्त प्रतिवेदन जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि दिनांक 18.07.2021 के प्रातः 8:30 बजे वह स्वयं के उपयोग हेतु पानी गरम करने कारा के पाकशाला में गये थे। उसी क्रम में टाईल्स पर पैर फिसल जाने के कारण वह गिर गये। गर्म दाल के छींटा पड़ने के कारण पेट और छाती के उपर बायाँ जाँघ के पास सतही तौर पर जल गया। इलाज हेतु सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया था उसके परिवार वालों की सुचना दी गई सदर अस्पताल में इलाज उपरांत के डिस्चार्ज किया गया। परन्तु कारा अस्पताल में वातानुकूलित की व्यवस्था नहीं रहने के कारण पुनः सदर अस्पताल इलाज हेतु रखा गया। विशेष न्यायधीश उत्पाद से मुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात उसे डिस्चार्ज कर दिया गया।

उपरोक्त प्रतिवेदन में चूंकि गंभीर आरोप लगाये गये थे अतः इस संचिका को पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग को भेजते हुए आवेदिका को अपने बातें रखने का मौका दिया गया था और अपर पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग को आवेदिका एवं पुत्र की बातें तथा दोनों पक्षों को बात सुनते हुए तीन माह के भीतर एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी आवेदिका का एक सदृश आवेदन हस्तांतरण के उपरांत प्राप्त है।

अपर पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदन प्राप्त प्रतिवेदन जेल के प्रतिवेदन पुस्तिका तथा अन्य कागजातों के अवलोकन कर साथ ही घटना के समय उपस्थित बंदियों का लिखित बयान प्राप्त कर पीड़ित फुल चन्द चौहान उनके साथी का बयान दर्ज करते हुए अपने निष्कर्ष में यह प्रतिवेदित किया।

"इस वाद में संचिका में उपलब्ध अभिलेख एवं प्रकाश में आये उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा से परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। परिवादी के पत्र एवं पीड़ित फुल चन्द चौहान द्वारा स्वयं अपने बयान में दाल के पतली उतारने के क्रम में दुर्घाटना अथवा फिसल कर गिरने तथा उसी क्रम में दाल की पतली से गरम दाल गिर जाने के कारण जलकर जख्मी हो जाने की बात बताई गई है। इस प्रकार परिवाद पत्र में जेल प्रशासन द्वारा छिपाकर बंदी को सदर अस्पताल में इलाज कराने तथा पुनः भभुआ कारा में डाल दिये जाने की बात अंकित की गई है। जबकि जेल प्रशासन द्वारा ज्ञापांक 2620 दिनांक 18.07.2021 द्वारा जख्म प्रतिवेदन फुल चन्द चौहान के परिजनों को इस घटना की सूचना 18.07.2021 को दी गई थी। तथा कारा के शाखा प्रभारी द्वारा अपने निजी मोबाईल के माध्यम से उसके परिजन को भी सूचित किया गया था। बंदी इलाज के प्रथम दिन से ही उसके परिजन इलाज के समय उपस्थित थे।"

परिवाद पत्र में परिवादी पुत्र फुल चन्द चौहान को 70 प्रतिशत जलने की बात बताई गई हैं जबकि सदर अस्पताल **O.P.D Slip** के अनुसार उक्त बंदी 20 प्रतिशत जले थे।

संचिका में उपलब्ध कागजात तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि आवेदिका के पुत्र पीड़ित फुल चन्द चौहान द्वारा भी परिवादी के द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। सदर अस्पताल द्वारा निर्गत **O.P.D Slip** के अनुसार बंदी 20 प्रतिशत जले होना प्रतिवेदित की गई है। घटना के सूचना पीड़ित बंदी के परिवार वालों को तुरंत दी गई है। और इलाज के क्रम में उनके परिजन सदर अस्पताल में उपस्थित हुये। यह भी प्रतिवेदित किया गया है। बंदी अभी जमानत पर रिहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपर महानिदेशक के विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन और उस से असहमत होने का कोई भी आधार संचिका में उपलब्ध नहीं है।

अतः इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदिका को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

संचिका संख्या : 5505/4/16/2020

दिनांक : .04.02.2022

प्रस्तुत आवेदन आवेदक संगीत शिक्षक, अंचित साह उ0वि0 बेलौरी के द्वारा उन्हें निलंबन अवधि का गुजारा भत्ता /जीवन निर्वाह भत्ता नहीं देने, नगर निगम पूर्णियाँ के लापरवाही व बिना रिश्वत के कारण पुनः योगदान नहीं दिये जाने और समिति के पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में विलंब किये जाने आरोप के साथ दाखिल किया गया था।

पूर्व में नगर निगम से प्राप्त प्रत्युत्तर से असंतुष्ट होते हुए नगर आयुक्त पूर्णियाँ, पूर्णियाँ नगर निगम का एक अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित कराने का निर्देश दिया गया था। नगर आयुक्त पूर्णियाँ का एक अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके द्वारा मनिहारी थाना कांड संख्या 194/2016 आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिये जाने व दिनांक 01.06.2016 से 26.04.2017 तक का न्यायिक हिरासत में रखा गया था जमानत प्राप्त होने के उपरांत योगदान दिये जाने के उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा नगर आयुक्त पूर्णियाँ से निर्देश की मांग की गयी थी। परन्तु कार्यवाह सहायक द्वारा इस पत्र को संचिकाबद्ध कर नगर आयुक्त के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया फलस्वरूप करीब 1 वर्ष 5 माह तक इस पत्र पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

कार्यालय के आदेश दिनांक 01.10.2018 के द्वारा आवेदक को पुनः अपना पद पर योगदान देने की अनुमति प्रदान की गई । निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में विभागीय कार्यवाही के

फलाफल के आधार पर निर्णय लेने का आदेश पारित किया गया। आदेश में जीवन निर्वाह भत्ता के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं होने के कारण का भुगतान नहीं किया जा सका। उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत श्री पासवन का योगदान दिनांक 27.04.2017 के प्रभाव से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। परन्तु 01.10.2018 को अपने पद पर योगदान देने के अनुमति प्रदान की गई। कार्यवाह सहायक की लापरवाही एवं नियम की जानकारी नहीं रहने के कारण जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान एवं योगदान स्वीकृत करने के दिशा में करीब 1 वर्ष 5 माह का विलम्ब हुआ है। आवेदक अब कार्यरत है। अब इन्हें भुगतान किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय कार्रवाई लंबित रहने के कारण श्री पासवान को ग्रेड पे अथवा अन्य अनुमान्य लाभ नहीं मिल पाया है। सम्प्रति नगर निगम, पूर्णियाँ के बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 26.06.2021 को समाप्त हो गया है। निर्धारित अवधि तक निर्वाचन नहीं होने के कारण बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। प्रशासक की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। ऐसी परिस्थिति में श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

पुनः एक प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम के एक पत्र की प्रति जो नगर आयुक्त को संबोधित है उपलब्ध कराई गई है। जिस से प्रतीत होता है कि आवेदक के जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त के प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए दिनांक 02.11.2021 के आदेश के द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर दिया गया था जो अप्राप्त है। अतः संचिका में उपलब्ध कागजातों के आधार पर इस आवेदन पर आगे की कार्रवा नहीं करते हुए नगर आयुक्त पूर्णियाँ नगर निगम को आवेदक के नियमानुसार देय राशि का भुगतान शीघ्रताशीघ्र करने की अनुशंसा करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

File No.-76/18-CD

08.02.2022

Above proceedings relates to custodial death of convict prisoner, Kundan Sah while in custody of District Jail, Gopalganj on receipt of information of Jail Superintendent and also from wife of deceased prisoner.

In compliance of earlier order, copy of Inquest Report, Post Mortem Report (page 31/c), Viscera Report (page 128-129/c), Detail Report of Jail Superintendent (page 124/c have been made available.

Copies of following reports are available from before:

1. Copy of Health Screening of prisoners on admission into the prison (page 23/c)
2. Copy of Complete Treatment record of the prisoner inside the jail and outside (page 17-22/c)
3. Copy of Inquest Report (page 16/c)
4. Copy of Post Mortem Report along with CD (page 13-15/c)
5. Copy of Viscera Report (if any) (page 68-69/c)
6. Copy of Final Cause of Death Report based on FSL Report (page 66/c)
7. Copy of Magisterial Enquiry Report (page 54-57/c)

Response at wife of deceased (page 79-81/c)

Inspite of repeated directions, copy of Histopathological Examination Report has not made available:

From perusal of record it appears that similar proceedings relating to death of convict prisoner Kundan Sah NHRC vide ordered date 27.11.2019 passed in Case No. 1989/4/12/2018-JCD directed the Chief Secretary Government of Bihar to trust the investigation of instant case to the State CID and submit the report.

In this concern Registry of State Commission has also enquired from the Assistant Registrar NHRC about the present status of above proceeding pending before NHRC, but response is still awaited.

Since NHRC directed CID enquiry and proceeding is still pending before NHRC as such State Commission is not inclined to proceed further in the above proceeding, as it may lead to contradictory.

According, orders above proceeding is closed. Let a copy of order be communicated to NHRC for communication.

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

<u>संचिका संख्या : 4771/4/5/2021</u>

<u>दिनांक : .01.02.2022</u>

आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन थाना अध्यक्ष बाखरपुर थाना के थानाध्यक्ष द्वारा उनके पति को दिनांक 14.07.2021 को गिरफ्तार किये जाने गांव के लोगों के समक्ष बुरी तरह पीटाई किये

जाने। यह भी कहा गया है कि उनके पति के पास कोई हथियार नहीं था जबरन हथियार थमा दिया गया और एक नया केस बाखरपुर थाना कांड संख्या 155/21 दर्ज कर दिया गया। आवेदिका के द्वारा इस संबंध में विडियोग्राफी की प्रति भी संलग्न करने की बात कही है परन्तु विडियोग्राफी की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है उसका फोटोग्राफस उपलब्ध है।

आरोप को ध्यान में रखते हुए दिनांक 19.08.2021 के आदेश के द्वारा इस संचिका को अपर पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग को भेजते हुए उन्हें आवेदिका के द्वारा दाखिल किये गये साक्ष्यों पर विचार करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक का प्रतिवेदन प्राप्त है जो (पृष्ठ 80 से 84प0) पर रक्षित है। जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदिका के पति एवं बाखरपुर ओ0पी0 थाना कांड संख्या 36/21 के अभियुक्त है जो पूरण मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदिका के पति के विरूद्ध जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने 5 लाख रुपये मांगने तथा जान मारने के नियत से गोली चलाकर जख्मी करने के आरोप के संबंध में दर्ज किया गया है। जो अनुसंधान उपरांत उपरोक्त कांड सत्य पाया गया है। आवेदिका के पति का आपराधिक इतिहास है। यह भी प्रतीत होता है कि थाना दैनिकी कांड दैनिकी तथा परिवादीनी के द्वारा उपलब्ध कराया गया विडियो क्लिपींग का अवलोकन कर वादिनी के बयान दर्ज करते हुए और वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगाँव की जांच प्रतिवेदन पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर के आदेश की प्रति के अवलोकन कर अपर पुलिस महानिदेशक ने अपने निष्कर्ष में यह कहा है कि " उपरोक्त प्रकाश में आये तथ्यों एवं वाद संचिका में वाद उपलब्ध प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि परिवादनी के पति का आपराधिक इतिहास है जिसके अनुसार वे कई कांडों में अभियुक्त रहे है वादी को गोली मारकर घायल करने से संबंधित कांड संख्या 36/21 अनुसंधान पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन –2 से सत्य पाया गया है तथा उक्त कारण में गिरफ्तारी के क्रम में भी घटित कांड से संबंधित विडियो क्लिपींग परिवादनी के द्वारा उपलब्ध कराया गया।

पुलिस द्वारा किये गये उक्त छापेमारी और गिरफ्तारी के क्रम में परिवादनी के पति निरज यादव के पास से लोडेड अवैध आग्नेयास्त्र एवं कारतूस की बरामदगी हुई इस संबंध में थाना कांड संख्या 155/21 के अनुसंधान पर्यावेक्षण एवं प्रतिवेदन दो से अभियुक्त नीरज यादव के विरूद्ध कांड सत्य पाया गया है कांड के प्राथमिकी एवं पुलिस साक्ष्यों के बयान के अनुसार अभियुक्त नीरज यादव के द्वारा गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करते हुए पुलिस बल पर अवैध आग्नेयास्त्र से गोली भी चलाई गई थी किन्तु उक्त गोली के मिसफायर हो जाने के कारण पुलिस बल की जान बालबाल बची।

यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादनी द्वारा तत्कालीन थाना अध्यक्ष पु0अ0नि0 विजेन्द्र पासवान के विरूद्ध भी पति को फर्जी केस में फंसाये जाने हेतु आरोप लगाये गये है। जबकि उनके

पति के विरूद्ध विभिन्न जिलों के विभिन्न थानें में संगीन आरोप के संबंध में कांड दर्ज है। जिनमें वे या तो जमानत पर मुक्त है, या वांछित है।

तत्कालीन थाना अध्यक्ष बाखरपुर पु0अ0नि0 विजेन्द्र पासवान के विरूद्ध परिवादनी के पति को फर्जी केस में फंसाये जाने संबंधी लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है। आवेदिका के पति नीरज यादव के साथ गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी आरोप के वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर कार्यालय पत्रांक–700/गोपनीय, दिनांक 09.09.2021 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं विडियो क्लिप से सही पाया गया है।

आवेदिका के द्वारा पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के क्रम में बुरी तरह से मारपीट किये जाने के संबंध में पुलिस उप महानिरिक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर द्वारा तत्कालीन बाखरपुर ओ0पी0 अध्यक्ष विजेन्द्र पासवान एवं स0अ0नि0 लालबाबु सिंह, तत्कालीन बाखरपुर ओ0पी0 के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा बाखरपुर थाना में नियुक्त सभी सैप बलों को पुलिस केन्द्र भागलपुर वापस किया गया है तथा निलंबित दोनों पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाए। प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए समर्पित किया गया हैं जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि आग्नेयास्त्र कारगर स्थिति में पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदिका के पति का अपराधिक इतिहास है उसे एक लंबित कांड के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय उसके द्वारा गोली भी चलाया गया। जिसे अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में सत्य पाया गया है। परन्तु पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा गिरफ्तारी के समय पु0अ0नि, स0अ0नि0 तथा पुलिस कर्मी के द्वारा जरूरत से ज्यादा बल अपराधी के विरूद्ध किये जाने का आरोप सत्य पाते हुए पु0अ0नि0 विजेन्द्र प्रसाद स0अ0नि0 लाल बाबु सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय जांच आरंभ की गई है तथा सभी कर्मियों को पुलिस केन्द्र वापस भेज दिया गया है। अतः अपर पुलिस महानिदेशक के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए इस आवेदन को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति आवेदिका को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson